

एक ऐसा निर्णय जिसे आप अच्छा एवं आनंददायी पाएंगे...



अपनाएँ एक पार्क

दिल्ली के पर्यावरण की देखभाल एवं इसे सुंदर नगरी बनाने का दि.वि.प्रा. का एक और सक्रिय प्रयास — “एक पार्क अपनाएँ”। आइए, इस स्वैच्छिक प्रयास में भाग लें और अपने आसपास हरे-भरे और रंग-बिरंगे वातावरण का सृजन करें।

दि.वि.प्रा., अपनाए गए पार्क में उपयुक्त साईनेज देकर आपके योगदान को मान्यता प्रदान करेगा।

एक पार्क अपनाने का अर्थ है मिले-जुले प्रयासों द्वारा पार्क के भू-दृश्यांकन, वृक्षारोपण, रख-रखाव और सुरक्षा पहलुओं की देखभाल करना।

पार्क कौन अपना सकता है?

पात्रता मानदंड : • ऐसी प्रतिष्ठित सोसायटियां एवं सार्वजनिक संस्थाएं जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत हैं • कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत बड़ी व्यवसाय संस्थाएं • बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम • स्वशासी निकाय • सार्वजनिक न्यास • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या दि.वि.प्रा. आवास सम्पदा प्रबंध एवं निपटान विनियम 1968 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत रेजीडेंट्स वेलफेयर सोसायटियां।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन पत्र विक्रय काउन्टर, डी-ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 में उपलब्ध हैं तथा दिनांक 05.07.2007 से सभी कार्य दिवसों को 10:30 बजे पूर्वा. से 4:00 बजे अप. के बीच रुपये 150/- के भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं।



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : निदेशक (एल.एस.), विकास मीनार, नई दिल्ली-110002

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'dda.org.in' पर सम्पर्क करें या 42895566 पर डायल करें



पौधों को पल्लावित होने दें तथा फूलों को खिलने दें...लाखों निगाहें प्रतिदिन आपको धन्यवाद देगी!